न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या– 75/2016

प्रार्थी–

1. सुरेश पुत्र गोपालराम
   जाति–जाट निवासी–कठौती, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. चांदमल पुत्र रामकरण जाति–खाती उम्र बालिग
2. बंशीलाल पुत्र रामकरण जाति–खाती उम्र बालिग
3. भंवरलाल पुत्र मोहनराम जाति–जाट उम्र बालिग
   जातियान–जाट निवासीगण–कठौती, तहसील–जायल जिला–नागौर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
आदेश 39 नियम 1, 2 सी.पी.सी.

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री एस.एस. कालवी, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता इन्द्रसिंह राठौड़ अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर अप्रार्थी 3 की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या 4 परफोर्मा पक्षकार।

दिनांक : 31/03/2024

– : : आदेश : :–

1. प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा एक रास्व वाद न्यायालय हाजा में पेश किया है जिसमें कामयाब होने की पूरी संभावना है क्योकि वादी स्व. हरदीनराम का पौत्र है। वादग्रस्त खेत खसरा नं. 1356 रकबा 10.05 बीघा का घरेलू तौर वादी के पिता के बंट रखे जाने तथा उनके स्वर्गवास के बाद एक मात्र वादी/प्रार्थी होने के कारण अकेले वादी के बंट में रखे जाने से उनको पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्व. रामकरण खाती निवासी कठौती के पुत्रगण है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम अभी हाल ही में प्रतिवादी संख्या 2 ने वादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से का बैचान कर दिये जाने से पक्षकार संयोजित किये गये है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में खालसा भूमि थी। जिस पर वादी के दादा हरदीन तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामकरण का आपसी प्रेम होने से साथ काश्त

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

31/03/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

करना लगभग सम्वत् 2010 के आस–पास शुरू किया जो रामकरण द्वारा सज नहीं आने से कुछ वर्ष बाद काश्त करना छोड़ दी तथा उसके बाद वादी के दादा हरदीनराम द्वारा ही आजीवन काश्त की गई तथा हरदीनराम के फौत होने के पश्चात वादी के पिता के बंट में यह भूमि आ गई जिनका भी देहान्त हो जाने से अब उक्त भूमि पर वादी/प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है।

वादी के दादा भोले भाले व अनपढ़ आदमी थे, तहसील कचेड़ी आदि में नहीं जाते थे, इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता काफी समझदार व होशियार आदमी थे तथा उनको ही उक्त भूमि का नियमन/आवंटन की कार्यवाही के लिए कह रखा था, जिसके कारण ही संभवतया उनका नाम खाते में आ गया जिसकी जानकारी हरदीनराम को नहीं थी, लेकिन मुतदाविया खेताय की भूमि पर काश्त हरदीनराम की रही थी। इस प्रकार आवंटन नियमन गलत नामों से हो गया तथा उपरोक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में अंकन गलत हो जाने पर काश्तकारी कानून लागू होने पर कब्जा हरदीनराम का होने से वह कानूनन हकदार हो गया। वादी के दादा व पिता उक्त भूमि पर काश्त तो करते रहे परन्तु राजस्व रिकॉर्ड की ओर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच प्रार्थी/वादी के परिवार से नाराजगी रखने वाले कुछ लोगो को इस गलत इन्द्राज का ज्ञान हो गया तो उन्होने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जो धंधे के सिलसिलें से बाहर ही रहते है को बर्गला कर षड़यंत्र करते हुये बाले–2 ही पहले देवकरण नाई का फौतगी नामान्तकरण करवया उसके बाद उतराधिकारियों से इस भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाते हुये उसके नाम दर्ज भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 3 के नाम करवा दिया। उक्त समस्त कार्यवाही शून्य व व्यर्थ है, इन दोनो ही बैचानों में कब्जा ट्रान्सफर नहीं हुआ क्योंकि कब्जा बैचान कर्ताओं था ही नहीं। इस बाबत् जानकारी प्रार्थी का प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा प्रार्थी के जाहिर करने पर पता चली। अब अप्रार्थी संख्या 3 उक्त खेताय की भूमि पर लाठी के बल पर प्रार्थी को कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने तथा कब्जा करने पर आमादा है। मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी बडेर की कब्जा काश्त की होने से प्रार्थी के हक हिस्से है। यदि अप्रार्थीगण खातेदारी की आड़ में मुतदाविया खेताय की भूमि का बैचान, हस्तान्तरण अथवा प्रार्थी को बेदखल करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः मुतदाविया खेताय की भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत वाद के अन्तिम तौर पर निस्तारण होने तक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को ग्राम कठौती तहसील जायल के खसरा नं. 1356 रकबा 10.05 बीघा की भूमि का बैचान, हस्तान्तरण, रहन, अथवा उक्त खेताय के किसी भी दस्तावेजात् पंजीयन नहीं करने

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रसिंह राठौड़ ने तथा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील श्री शिवकुमार ने वकालातनामा तथा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 के सम्मन स्वयं से तामील सुदा प्राप्त होकर शामिल मिसल है, जो कि केवल परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये है।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने दिनांक 05.09.2016 को प्रार्थना पत्र के समस्त पैराज गलत, निराधार, सारहीन व विधि विरूद्ध होने का जिक्र करते हुये जवाब पेश कर में अंकित किया कि प्रार्थी को वाद में सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि विवादित खेत में वादी का कोई भी हक अधिकार व खातेदारी अधिकार नहीं बनता है। विवादग्रस्त खेत खसरा नं. 1356 में प्रार्थी का कभी खातेदार अधिकार नहीं रहा है तथा ना ही इनके बडेर का कब्जा/काश्त रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अनगल बाते लिखी है वो बिना किसी आधार के है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में अपने खातेदारी की भूमि का कानुनन, बैचान किया है, जिसके लिए वह स्वतंत्र है। तथा अप्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का बैचान, हस्तान्तरण कर दिये जाने से प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति नहीं होने वाली है। अप्रार्थी संख्या 3 खरीद सुदा भूमि का नामान्तकरण अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है इसिलए अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध मौके पर रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश दिया जाना अनुचित व खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध है।

इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने भी जवाब पेश करते हुये अंकित किया कि स्व. हरदीनराम पुत्र बगसाराम के उतराधिकारी प्रार्थी के अलावा और कोई भी है। जिनको प्रार्थी ने प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है, जो प्रार्थी स्वयं ने स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त वाद/प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित है। इसी प्रकार खसरा नं. 1356 की भूमि पर सम्वत् 2028 में लगान पर्चा भरने पर कब्जा शुरू से ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व देवकरण नाई का होने से आंवटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही पूरी कर विधिसमत् रामकरण खाती व देवकरण नाई के नाम उक्त खेत खातेदारी आवंटन की गई जो समस्त विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये की

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

है। इसी प्रकार खसरा नं. 1356 की भूमि खालसा भूमि हो बल्कि पूरानी पड़त थी जिस पर कब्जा सम्वत् 2006 से रामकरण खाती व देवकरण नाई का लगातार चला आ रहा था उसकी कब्जे के आधार पर पटवारी हल्का की गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार रामकरण खाती व देकवरण नाई उक्त भूमि पर काश्त करने तहसीलदार साहब द्वारा जुर्माना अधिरोपित किये जाने पर जुर्माना राशि भरी तथा समय–2 लगान भी भरा गया है तथा लगातार कब्जा काश्त के आधार पर विधिक कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुये दोनो को उक्त खेत का ,खातेदारी अधिकारी मिले है जो कि विधि सम्मत् है। प्रार्थी के दादा हरदीनराम ने कभी भी उक्त पर काश्त नहीं की तथा न ही प्रार्थी ने कभी काश्त की। पटवारी हल्का द्वारा जमाबंदी के आधार पर भूमि सम्वत् 2028 में नामान्तकरण संख्या 225 के द्वारा रामकरण खाती व देवकरण नाई के नाम खातेदारी में दर्ज की गई व नामान्तरण संख्या 403/10.10.1997 ग्राम पंचायत कठौती द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण प्रक्रिया के पश्चात लगातार कब्जा काश्त दोनो का ही था प्रार्थी के परिजनो व दादा का कब्जा काश्त कभी नहीं था।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को झूठां परेशान व जमीन हड़पने का लालच आ जाने से गलत तथ्यों पर यह वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी भू–माफियो से मिला हुआ है व मिलीभगत करके उक्त भूमि में अनावश्यक वाद पैदा कर हड़पने चाहता है, जो कि अपने मंसूबो पर कामयाब नहीं होगा। प्रार्थी का कभी भी उक्त पर कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही जमाबंदी में राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का कहीं इन्द्राज हो। 63 साल बाद मात्र गिरदावरी रिपोर्ट में ट्रेस हरदीनराम का नाम आ जाने तथा उसके आधार पर खातेदारी के लिए वाद दायर करना म्याद बाहर है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष रेकर्डड खातेदार जो कि अप्रार्थीगण है, के विरूद्ध है इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है तथा ना ही अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है, क्योंकि भंवरलाल रेकर्डड खातेदार है व उसकी का कब्जा काश्त है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की जाना गलत है अतः प्रार्थी का प्रार्थना काबिले खारिज होने से खारिज किया जावें।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा शेष पक्षकारान अप्रार्थी संख्या 4 के तलबी हो चुकी है, जो कि परफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है तथा प्रकरण वर्ष 2016

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

से लम्बित है। इसलिए वकुलाय की सहमति पर प्रकरण हाजा में अन्तिम बहस हेतु तारीख नियत की गई।

4. बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। वादग्रस्त खेत खसरा नं. 1356 रकबा 10.05 बीघा का घरेलू तौर वादी के पिता के बंट रखे जाने तथा उनके स्वर्गवास के बाद एक मात्र वादी/प्रार्थी होने के कारण अकेले वादी के बंट में रखे जाने से उनको पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 स्व. रामकरण खाती निवासी कठौती के पुत्रगण है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम अभी हाल ही में प्रतिवादी संख्या 2 ने वादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से का बैचान कर दिये जाने से पक्षकार संयोजित किये गये है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में खालसा भूमि थी। जिस पर वादी के दादा हरदीन तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामकरण का आपसी प्रेम होने से साथ काश्त करना लगभग सम्वत् 2010 के आस–पास शुरू किया जो रामकरण द्वारा सज नहीं आने से कुछ वर्ष बाद काश्त करना छोड़ दी तथा उसके बाद वादी के दादा हरदीनराम द्वारा ही आजीवन काश्त की गई। तथा हरदीनराम के फौत होने के पश्चात वादी के पिता के बंट में यह भूमि आ गई जिनका भी देहान्त हो जाने स अब उक्त भूमि पर वादी/प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है।

वादी के दादा भोले भाले व अनपढ़ आदमी थे, तहसील कचेड़ी आदि में नहीं जाते थे, इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता काफी समझदार व होशियार आदमी थे तथा उनको ही उक्त भूमि का नियमन/आवंटन की कार्यवाही के लिए कह रखा था, जिसके कारण ही संभवतया उनका नाम खाते में आ गया जिसकी जानकारी हरदीनराम को नहीं थी। लेकिन मुतदाविया खेताय की भूमि पर काश्त हरदीनराम की रही थी। इस प्रकार आवंटन नियमन गलत नामों से हो गया। तथा काश्तकारी कानून लागू होने पर कब्जा हरदीनराम का होने से वह कानूनन हकदार हो गया, परन्तु उपरोक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में अंकन गलत दर्ज हो गया। वादी के दादा व पिता उक्त भूमि पर काश्त तो करते रहे परन्तु राजस्व रिकॉर्ड की ओर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच प्रार्थी/वादी के परिवार से नाराजगी रखने वाले कुछ लोगो कोइस गलत इन्द्राज का ज्ञान हो गया तो उन्होने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जो धंधे के सिलसिलें से बाहर ही रहते है को बर्गला कर षड़यंत्र करते हुये बाले–2 ही पहले देवकरण नाई का फौतगी नामान्तकरण करवया उसके बाद उतराधिकारियों से इस भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाते हुये उसके नाम दर्ज भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 3 के नाम करवा दिया। उक्त

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जावल

Scanned with CamScanner

समस्त कार्यवाही शून्य व व्यर्थ है, इन दोनो ही बैचानों में कब्जा ट्रान्सफर नहीं हुआ क्योंकि कब्जा बैचान कर्ताओं था ही नहीं।

इस बाबत् जानकारी प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 3 के द्वारा जाहिर करने पर पता चली। अब अप्रार्थी संख्या 3 उक्त खेताय की भूमि पर लाठी के बल पर प्रार्थी को कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने तथा कब्जा करने पर आमादा है। मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी बडेर की कब्जा काश्त की होने से प्रार्थी के हक हिस्से है। यदि अप्रार्थीगण खातेदारी की आड़ में मुतदाविया खेताय की भूमि का बैचान, हस्तान्तरण अथवा प्रार्थी को बेदखल करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

5. दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी के वकील द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीनी द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया गया वाद विधि विरूद्ध है। वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थना पत्र के समस्त पैराज गलत, निराधार, सारहीन व विधि विरूद्ध होने का जिक्र करते किया तथा निवेदन किया है कि विवादित खेत में प्रार्थी का कोई भी हक अधिकार व खातेदारी अधिकार नहीं बनता है। विवादग्रस्त खेत खसरा नं. 1356 रकबा 10.05 बीघा में प्रार्थी का कभी खातेदार अधिकार नहीं रहा है तथा ना ही इनके बडेर का कब्जा/काश्त रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 जो रेकर्डड खातेदार है तथा इसने अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में अपने खातेदारी की भूमि का कानुनन, बैचान किया है, जिसके लिए वह स्वतंत्र है। अप्रार्थी संख्या 3 खरीद सुदा भूमि का नामान्तकरण अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है इसिलए अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध मौके पर रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश दिया जाना अनुचित व खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि स्व. हरदीनराम पुत्र बगसाराम के प्रार्थी के अलावा और भी उतराधिकारी है, जिसका जिक्र प्रार्थी ने स्वयं किया है परन्तु प्रकरण हाजा में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार उक्त वाद/प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित है। खसरा नं. 1356 की भूमि खालसा भूमि हो बल्कि पूरानी पड़त थी जिस पर कब्जा सम्वत् 2006 से रामकरण खाती व देवकरण नाई का लगातार चला आ रहा था उसकी कब्जे के आधार पर पटवारी हल्का की गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार रामकरण खाती व देकवरण नाई उक्त भूमि पर काश्त करने तहसीलदार साहब द्वारा जुर्माना

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अधिरोपित किये जाने पर जुर्माना राशि भरी तथा समय–2 लगान भी भरा गया है। इस तथ्य को प्रार्थी स्वयं ने जवाब में स्वीकार किया है। खसरा नं. 1356 की भूमि पर सम्वत् 2028 में लगानपर्चा भरने पर कब्जा शुरू से ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व देवकरण नाई व रामकरण का होने से आंवटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करने पर विधिसमत्।

प्रार्थी के दादा हरदीनराम ने कभी भी उक्त भूमि पर काश्त की तथा न ही प्रार्थी ने कभी की। प्रार्थी के परिजनो व दादा का कब्जा काश्त कभी नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का ही लगातार कब्जा काश्त था। पटवारी हल्का ने जमाबंदी के आधार पर सम्वत् 2028 में नामान्तकरण संख्या 225 रामकरण खाती व देवकरण नाई के नाम दर्ज किये जाने हेतु पेश किया जिसके पश्चात नामान्तरण संख्या 403/10.10.1997 ग्राम पंचायत कठौती द्वारा स्वीकृत किया गया।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को झूठां परेशान व जमीन हड़पने का लालच आ जाने से गलत तथ्यों पर यह वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी भू–माफियो से मिला हुआ है व मिलीभगत करके उक्त भूमि में अनावश्यक वाद पैदा कर हड़पने चाहता है, जो कि अपने मंसूबो पर कामयाब नहीं होगा। प्रार्थी का कभी भी उक्त पर कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही जमाबंदी में राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का कहीं इन्द्राज हो। 63 साल बाद मात्र गिरदावरी रिपोर्ट में मात्र ट्रेस पासर के रूप में हरदीनराम का नाम आया हो उसके आधार पर वाद दायर करना खातेदारी के लिए म्याद बाहर है तथा बिना किसी ठोस तथ्यों के आधार पर वाद/प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है तथा ना ही अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3भंवरलाल रेकर्डड खातेदार है व उसी का कब्जा काश्त है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की जाना गलत है अतः प्रार्थी का प्रार्थना काबिले खारिज होने से खारिज किया जावें ।

6. पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड, एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अधिवक्तागण की दलीलों एवं बहस पर मनन किया गया, जिससे यह पाया गया कि प्रकरण में विवादग्रस्त खसरा की भूमि खसरा नं. 1356 की गिरदावरी रिपोर्ट सम्वत् 2022 में हरदीनराम का नाम अंकित है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 657 में खातेदार रामकरण पुत्र छोटूराम व देवकरण पुत्र हरदीन जाति नाई से जरिये नामान्तकरण संख्या 2104/06.12.2012 (हकतर्क) के

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

जरिये बंशीलाल, चान्दमल पुत्र रामकरण के नाम स्वीकृत है तथा नामान्तरकरण संख्या 2136/21.05.2013 (हकतर्क) के देवकरण के स्थान पर श्यामदेवी पत्न राजाराम, पूनमचन्द, चेनाराम, रामनिवास पि. राजाराम, सरोज पुत्री राजाराम कौम नाई के नाम स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 2585/20.06.2016 (बैचाननामा) से अपना सम्पूर्ण हक हक हिस्सा चांदमल पुत्र रामकरण कौम खाती के नाम स्वीकृत है, जिससे यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 रेकडेर्ड खातेदार है। इसी प्रकार खातेदार चांदमल पुत्र रामकरण द्वारा दिनांक 28.06.2016 को जरिये बैचाननामा के अपना सम्पूर्ण हिस्सा भंवरलाल पुत्र मोहनराम जाति जाट निवासी कठौती के पक्ष में कर दिया जाना साबित है।

इसी प्रकार प्रकरण में दस्तावेज गिरदावरी सम्वत् 2022 का अवलोकन से प्रतीत होता है कि हरदीन पुत्र बक्साराम जाट का नाम काश्तकार के रूप में अंकित है। इसके अलावा प्रकरण हाजा में ऐसा कोई दस्तावेज दस्तावेज प्रार्थी ने पेश किया जिससे यह साबित हो कि मुतदाविया खेताय की भूमि में प्रार्थी स्वयं की पुश्तैनी भूमि है। केवल मात्र गिरदावरी में नाम आ जाने मात्र के दस्तावेजात को आधार बनाकर बिना किसी अन्य ठोस सबूतों तथा प्रार्थी के अलावा स्व. हरदीनराम के अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया। जिनको प्रकरण में सुना जाना आवश्यक है। किसी भी रेकडेर्ड खातेदार/काश्तकार के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश पारीत किया जाना आर.टी.एक्ट की मंशा के विपरित है।

यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के विरूद्ध दिनांक 22.07.2016 को जारी की गई अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला पुख्ता किया जाता है तो असुविधा केवल अप्रार्थी पक्ष को होगी तथा चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मुतदाविया खेताय की भूमि में रेकर्डड खातेदार है यदि उक्त जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को पुख्ता किया जाताा है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को नहीं होकर अप्रार्थी को होगी।

अतः हमारी राय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की मंशानुरूप किसी भी रेकर्डड खातेदार के विरूद्ध बिना किसी ठोस सबूतादि स्थाई/अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना उचित नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की जाना गलत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज पाया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रार्थना पत्र 75/2016
सुरेश बनाम चांदमल वगैरह

— : : आदेश : : —

यत् हस्तगत प्रकरण में ग्राम–कठौती तहसील जायल के खसरा नं.1356 रकबा 10.05 बीघा के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22.07.2016 को राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति तथा प्रार्थी के कब्जे में दखलन्दाजी नही करने बाबत् जारी की गई अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 अपास्त की जाती है। प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1, 2 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

आदेश आज दिनांक 31/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/03/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर, जायल
जिला–नागौर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner